### हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 19 मई, 2022

संख्या सांकां निक्त 109 / संविक / अनुः 309 / 2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात :—

### भाग I - सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2022, संिह कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं।

- (क) ''अनुरूप पद'' से अभिप्राय है, समकक्ष योग्यताओं, वेतनमान तथा समान कर्तव्य और उत्तरदायित्व वाला कोई पदः
- (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (घ) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा;
- (ड.) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (च) ''संस्था'' से अभिप्राय है..-
  - (i) हरियाणा राज्य में लागू निगमित विधि द्वारा कोई संस्था; या
  - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (छ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय''से अभिप्राय है:--
  - (i) भारत के विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
  - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो, इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (ज) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, (ग्रुप ख) सेवा।

### भाग II सेवा में भर्ती

सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी। पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—
  - (क) भारत का नागरिक; या
  - (ख) नेपाल की प्रजा; या
  - (ग) भूटान की प्रजा; या

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित व्यक्ति किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण –पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र। (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली—भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी 6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों से सम्बन्धित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, तो 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं ।

- 8. कोई भी व्यक्ति,—
- (क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

- (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—
  - (क) **उप निदेशक की दशा में.**
    - (i) जिला समाज कल्याण अधिकारियों या सहायक कार्यक्रम अधिकारियों में से पदोन्नति द्वाराः या
    - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (ख) प्रशासकीय अधिकारी की दशा में,-

- (i) अधीक्षकों, में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (ग) जिला समाज कल्याण अधिकारी की दशा में,-

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और
- (ii) 50 प्रतिशत अन्वेषकों में से पदोन्नति द्वारा, या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (घ) अनुसन्धान अधिकारी की दशा में,-

- (i) सहायक अनुसन्धान अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (ड) निजी सचिव की दशा में,-

- (i) निजी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

# (च) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (नैत्रहीन / कम दृष्टि) की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (छ) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (श्रवण तथा वाणी क्षति) की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (ज) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (लोकोमोटर गति विषयक अशक्तता तथा कुष्ट अवरूद्ध) की दशा में, —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

# (झ) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात तथा मांसपेशीय डिसट्रोफी) की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

## (ञ) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (आत्मविमोह, मानसिक रूग्णता तथा मानसिक मन्दता) की दशा में. —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

# (ट) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (बहुविध अशक्तता, बिधर—नैत्रहीनता तथा बहुविध उत्तक—दृढ़न सिक्लअरोसिस) की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

## (ठ) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण) की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

# (ड) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (मादक तथा पदार्थ (औषधि) का निवारण) की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

## (ढ) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (पैंशन) की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (ण) सहायक प्रोग्राम अधिकारी (वरिष्ठ नागरिक कल्याण) की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (त) अधीक्षक की दशा में,-

- (i) सहायक, लेखाकार, खजान्ची, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों, में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (थ) प्राध्यापक अंग्रेजी की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (द) प्राध्यापक, हिन्दी की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (ध) प्राध्यापक इतिहास (नेत्रहीन) की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

# (न) प्राध्यापक संगीत (नेत्रहीन) की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

# (प) प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान (नेत्रहीन) की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, परस्पर ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा.

## परन्तु :-

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अविध नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अविध में गिनने की ओर अनुज्ञात होगी; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर, व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी नियमित पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—
  - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
  - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,-
    - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
    - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
  - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
    - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ऐसे व्यक्ति को, नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पृष्ट कर सकता है; या

- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो, -
  - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते अनुज्ञात करें; या
  - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के ज्येष्ठता। अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग—अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

सेवा करने का दायित्व।

- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.—
  - (i) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय:
  - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि—निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो : अथवा
  - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो या गैर—सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले। कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड़ तथा अपील) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि क अधीन अपनाये अथवा बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जाये:

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 या उसके बाद नियुक्त किए हों (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान और अवकाश नकदीकरण को छोडकर)

- (2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से सेवा निवृत होता है, अधिवर्शिता पैंशन (किंतु पेंशन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा
  - (i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तिविक अवधिः या
  - (ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है: या
  - (iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जा भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है:—

- (क) जिसके लिए प्रोद्यौगिकी या व्यवसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंघान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है; और
- (ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं: परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी:—
  - (i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नित द्वाराः
  - (ii) वास्तिविक अर्हत सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक

परन्तु उपरोक्त उपनियम (2) के उपबन्ध, सेवा के उन सदस्यों को लागू नही होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हों।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चातवर्ती नियुक्ति को भी लागू होगीः

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हत सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

टिप्पणः इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि के दो वर्ष के भीतर किया जाएगा।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपील। **14.** (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा—संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में यथा विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

**15.** सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ। **16.** सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति। 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आश्यक या समीचीन हो वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

- 18. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह पदोन्नित नियुक्ति विशेष उपबंध। आदशों में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।
- 19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन आरक्षण। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:
- 20. निदेशालय, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2000, जो निरसन तथा इन नियमों द्वारा शास्ति पदों को यथा लागू है, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं : व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

# **परिशिष्ट क** (देखिए नियम 3)

	(पायर गियम ३)				
क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान		
1	2	3	4		
1.	उप निदेशक	4	(एफ.पी.एल.—9) = सैल 1 (53,100 रूपये)		
2.	प्रशासकीय अधिकारी	1	(एफ.पी.एल.—9) = सैल 1 (53,100 रूपये)		
3.	सहायक जिला न्यायवादी	1	अभियोजन विभाग, हरियाणा से अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा।		
4.	लेखा अधिकारी	2	वित्त विभाग, हरियाणा से अपने अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा।		
5.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	22	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
6.	अनुसंधान अधिकारी	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
7.	निजी सचिव	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
8.	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (नैत्रहीन / कम दृष्टि)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
9	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (श्रवण तथा वाणी क्षति)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
10	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (लोकोमोटर (गति विषयक) अशक्तता तथा कुष्ट से अवरूद्ध)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
11	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात तथा मांसपेशीय डिसट्रोफि)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
12	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (आत्मविमोह मानसिक रूगणता तथा मानसिक मन्दता)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
13	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (बहुविध अशक्तता, बधिर—नैत्रहीनता तथा बहुविध उत्तक—दृढ़न (सिक्लअरोसिक)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
14	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
15	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (मादक तथा पदार्थ (औषधि) का निवारण)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		
16	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (पैंशन)।	2	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)		

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
17	सहायक प्रोग्राम अधिकारी (वरिष्ठ नागरिक कल्याण)।	1	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)
18	अधीक्षक	4	(एफ.पी.एल.—7) = सैल 1 (44,900 रूपये)
19.	प्राध्यापक अंग्रेजी	1	(एफ.पी.एल.—8) = सैल 1 (44,600 रूपये)
20	प्राध्यापक हिन्दी	1	(एफ.पी.एल.—8) = सैल 1 (47,600 रूपये)
21	प्राध्यापक इतिहास (नेत्रहीन)	1	(एफ.पी.एल.—8) = सैल 1 (47,600 रूपये)
22	प्राध्यापक संगीत (नेत्रहीन)	1	(एफ.पी.एल.—8) = सैल 1 (47,600 रूपये)
23	प्राध्यापक राजनीतिक शास्त्र (नेत्रहीन)	1	(एफ.पी.एल.—8) = सैल 1 (47,600 रूपये)

टिप्पणः सहायक जिला न्यायवादी तथा लेखा अधिकारी के पद उनके पैतृक विभाग से सम्बन्धित सेवा नियमों, जो उन्हें लागू हों, द्वारा शासित होंगे।

# परिशिष्ट ख

(देखिए नियम ७)

		(4/93/1/1947)	
क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	उप निदेशक		पदोन्नित द्वारा : जिला समाज कल्याण अधिकारी या सहायक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव तथापि सहायक कार्यक्रम अधिकारी को पदोन्नित के लिए विचार करने से पूर्व एस०ई०टी०सी० भाग–1 परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी पहले से ही राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित योग्यता रखने वाले सहायक कार्यक्रम अधिकारी को तथा (एस०ई०टी०सी०) भाग–1 से छूट दी जाएगी।
			स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
2.	प्रशासकीय अधिकारी		पदोन्नित द्वारा — अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव, स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सिहत सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री या कांऊसलिंग में डिप्लोमा सिहत मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा — अन्वेषक के रूप में दस वर्ष का अनुभव, स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
4	अनुसंधान अधिकारी		पदोन्नित द्वारा — सहायक अनुसन्धान अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव, स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
5	निजी सचिव		पदोन्नित द्वारा — निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव, स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
6	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (नैत्रहीन / कम दृष्टि)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री/अशक्तता पुनर्वास प्रशासन में मास्टर डिग्री/पुनर्वास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री / पुनर्वास सहित कलीनिकल मनोविज्ञान समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध-सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में अशक्तता के सुसंगत बैंड में प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा—  (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव;  (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
7	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (श्रवण तथा वाणी हानि)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री/अशक्तता पुर्नवास प्रशासन में मास्टर डिग्री/पुनर्वास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री पुनर्वास सहित कलीनिकल मनोविज्ञान समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध-सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में अशक्तता के सुसंगत बैंड में प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
8	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (लोकोमोटर (गति विषयक) अशक्तता तथा कुष्ठ अवरूद्ध)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री/अशक्तता पुर्नवास प्रशासन में मास्टर डिग्री/पुनर्वास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री/पुनर्वास सहित कलीनिकल मनोविज्ञान समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध—सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में अशक्तता के सुसंगत बैंड में प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा—  (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
9	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात तथा मांसपेशीय डिसट्रोफी)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री/अशक्तता पुर्नवास प्रशासन में मास्टर डिग्री/पुनर्वास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री पुनर्वास सहित कलीनिकल मनोविज्ञान समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध—सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में अशक्तता के सुसंगत बैंड़ में प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
10	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (आत्मविमोह, मानसिक रूग्णता तथा मानसिक मन्दता)	(i) किसी मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री/अशक्तता, पुर्नवास प्रशासन में मास्टर डिग्री/पुनर्वास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री/पुनर्वास सहित कलीनिकल मनोविज्ञान समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध—सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में अशकतता के सुसंगत बैंड में प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा—  (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
11	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (बहुविध अशक्तता, बधिर—नैत्रहीनता तथा बहुविध दृढ़न (सिक्लअरोसिस)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री/अशक्तता पुर्नवास प्रशासन में मास्टर डिग्री/पुनर्वास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री/पुनर्वास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री/पुनर्वास सहित कलीनिकल मनोविज्ञान समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध—सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में अशकतता के सुसंगत बैंड़ में प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
12	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण )	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध—सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
13	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (मादक तथा पदार्थ (औषधि) निवारण )	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री / मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री / अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी / अर्ध—सरकारी / बोर्ड / विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
14	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (पैंशन)	(i) किसी मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी/अर्ध—सरकारी/बोर्ड/विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
15	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वरिष्ठ नागरिक कल्याण )	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री / जेरियाट्रिक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री / जैरोन्टोलाजिकल सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री; (ii) सरकारी / अर्ध—सरकारी / बोर्ड / विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
16	अधीक्षक		1. पदोन्नित द्वारा : सहायक या लेखाकार या खजान्ची या कनिष्ठ लेखा परीक्षक या के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
			स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा—
			(i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव;
			(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
17	प्राध्यापक अंग्रेजी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.ए. अंग्रेजी तथा बी.एड (विशेष) ब्रेल के ज्ञान के साथ;	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		(ii) हिरयाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच टी ई टी) / विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस टी ई टी) अहर्क प्रमाण पत्र; तथा	(i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर
		(iii) मैद्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
18	प्राध्यापक हिन्दी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित ब्रेल के ज्ञान के साथ एम.ए. हिन्दी तथा बी.एड (विशेष);	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(ii) हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच टी ई टी) / विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस टी ई टी) अहर्क प्रमाण पत्र; तथा	(i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
19	प्राध्यापक इतिहास (नेत्रहीन)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित ब्रेल के ज्ञान के साथ एम.ए. इतिहास तथा बी.एड (विशेष);	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो
		(ii) हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच टी ई टी)/ विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस टी ई टी) अहर्क प्रमाण पत्र; तथा	वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
20	प्राध्यापक संगीत (नेत्रहीन)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सिहत ब्रेल के ज्ञान के साथ एम.ए. संगीत तथा बी.एड़ (विशेष); (ii) हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच टी ई टी) / विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस टी ई टी) अहर्क प्रमाण पत्र; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
21	प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान (नेत्रहीन)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सिहत ब्रेल के ज्ञान के साथ अहर्क एम.ए. राजनीतिक विज्ञान तथा बी.एड़ (विशेष); (ii) हिरयाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच टी ई टी) / विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस टी ई टी) अहर्क प्रमाण पत्र; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

# परिशिष्ट ग

(देखिए नियम 14 (1)

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
	1	2	3	4	5
1	उप निदेशक	सरकार	(i) छोटी शास्तियां:	निदेशक	सरकार
2	प्रशासकीय अधिकारी		हरियाणा सिविल		
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी		सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा		
4	अनुसंधान अधिकारी		2016 में यथा विहित।		
5	निजी सचिव		(ii) बड़ी शास्तियां:		
6	सहायक कार्यक्रम अधिकारी – नैत्रहीन/कम दृष्टि।		हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा	सरकार	
7	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (श्रवण तथा वाणि क्षति)		अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।		
8	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (लोकोमोटर गति विषयक अशक्तता तथा कुष्ट अवरूद्ध)।				
9	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात तथा मांसपेशीय डिस्ट्रोफी)।				
10	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (आत्मविमोह, रूग्णता तथा मानसिक मन्दता)।				
11	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (बहुविध अशक्तता बिधर—नैत्रहीनता तथा बहुविध उत्तक—दृढ़न (सिक्लअरोसिस)।				
12	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण)।				
13	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (मादक तथा पदार्थ औषधि निवारण)।				
14	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (पैंशन)।				
15	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वरिष्ठ नागरिक कल्याण)।				
16	अधीक्षक				
17	प्राध्यापक अंग्रेजी				
18	प्राध्यापक हिन्दी				
19	प्राध्यापक इतिहास (नेत्रहीन)				
20	प्राध्यापक संगीत (नेत्रहीन)				
21	प्राध्यापक राजनीतिक शास्त्र (नेत्रहीन)				

# परिशिष्ट घ

(देखिए नियम 14 (2)

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1	उप निदेशक	(i) पैंशन को शास्ति क	
2	प्रशासकीय अधिकारी	नियमों के अधीन उसे सामान्य/अतिरिक्त पैंशन	ा अनुज्ञेय इ.स. <del>स्थ</del> ि
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सामान्य / आतारक्त पशन में कमी करना या रोकना	
4	अनुसंधान अधिकारी	(ii) सेवा के किसी सदस्य व	ही उसकी
5	निजी सचिव	अधिवर्षिता के लिए नियत	
6	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (नैत्रहीन / कम दृष्टि)।	होने से अन्यथा नियु समाप्ति।	प्रिक्त की
7	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (श्रवण तथा वाणि क्षति)।		
8	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (लोकोमोटर गति विषयक अशक्तता तथा कुष्ट अवरूद्ध)।		
9	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात तथा मांसपेशीय डिस्ट्रोफी)।		
10	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (आत्मविमोह, रूग्णता तथा मानसिक मन्दता)।		
11	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (बहुविध अशक्तता बधिर—नैत्रहीनता तथा बहुविध उत्तक—दृढ़न (सिक्लअरोसिस)।		
12	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण)		
13	सहायक कार्यक्रम (मादक तथा पदार्थ औषधि निवारण)।		
14	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (पैंशन)।		
15	सहायक कार्य{म अधिकारी (वरि ट नागरिक कल्याण)।		
16	अधीक्षक		
17	प्राध्यापक अंग्रेजी		
18	प्राध्यापक हिन्दी		
19	प्राध्यापक इतिहास (नेत्रहीन)		
20	प्राध्यापक संगीत (नेत्रहीन)		
21	प्राध्यापक राजनीतिक ॥स्त्र (नेत्रहीन)		

विनीत गर्ग, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

### SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

### **Notification**

The 19th May, 2022

No. G.S.R. 109/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Social Justice and Empowerment Department (Group B) Service, namely:-

### **PART-I-GENERAL**

Short title and commencement.

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Social Justice and Empowerment Department, (Group-B) Service Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "analogous post" means a post having similar qualifications, pay scale, duties and responsibilities;
  - (b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
  - (c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion or by transfer of an officer/official already in the service of the Government of India or any State Government;
  - (d) "Director" means the Director, Social Justice and Empowerment Department, Haryana;
  - (e) "Government" means the Government of the State Haryana in the administrative department;
  - (f) "Institution" means,-
- 3. any institution established by law in force in the State of Haryana; or
  - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules:
  - (g) "recognized university" means,-
- **4.** any university incorporated by law in India; or
  - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
  - (h) "Service" means the Haryana Social Justice and Empowerment Department (Group B) Service.

## PART-II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of Post. **5.** The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new regular posts with different designations and scales of pay.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

- 1. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-
  - (a) a citizen of India: or
  - (b) a subject of Nepal; or
  - (c) a subject of Bhutan;

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority.

Age.

**6.** Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualification and experience specified in column 3 of **Appendix B** to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment:

Qualifications and experience.

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,-

Disqualifications.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**9.** (1) Recruitment to the Service shall be made,-

Method of recruitment.

- (a) In the case of Deputy Director, -
  - (i) by promotion from amongst District Social Welfare Officers or Assistant Programme Officers; or
  - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;
- (b) In the case of Administrative Officer, -
  - (i) by promotion from amongst Superintendents; or
  - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;
- (c) In the case of District Social Welfare Officer, -
  - (i) 50% by direct recruitment; and
  - (ii) 50% by promotion from amongst Investigators; or
  - (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;
- (d) In the case of Research Officer, -
  - (i) by promotion from amongst Assistant Research Officers; or
  - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;
- (e) In the case of Private Secretary, -
  - (i) by promotion from amongst Personal Assistants; or
  - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:
- (f) In the case of Assistant Programme Officer (Blindness/low vision), -
  - (i) by direct recruitment; or
  - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (g) In the case of Assistant Programme Officer (Hearing and speech impairment),-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (h) In the case of Assistant Programme Officer (Locomotor disability and leprosy arrested), -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (i) In the case of Assistant Programme Officer (Cerebral Palsy and muscular dystrophy), -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (j) In the case of Assistant Programme Officer (Autism mental illness and mental retardation),-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

## (k) In the case of Assistant Programme Officer (Multiple Disabilities, deafblindness and multiple sclerosis), -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

## (1) In the case of Assistant Programme Officer (Minority Welfare),-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (m) In the case of Assistant Programme Officer (Prevention of Alcoholism and Substance (Drug Abuse),-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (n) In the case of Assistant Programme Officer (Pension), -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

## (o) In the case of Assistant Programme Officer (Senior Citizens Welfare), -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

## (p) In the case of Superintendent,-

- (i) by promotion from amongst Assistants, Accountants, Junior Auditors, Cashiers; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (q) In the case of Lecturer Hindi, -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

- In the case of Lecturer English,-(r)
  - by direct recruitment; or
  - by transfer or deputation of an officer already in the service of any (ii) State Government or the Government of India;
- In the case of Lecturer History (Blind), -(s)
  - by direct recruitment; or (i)
  - by transfer or deputation of an officer already in the service of any (ii) State Government or the Government of India;
- (t) In the case of Lecturer Music (Blind),
  - by direct recruitment; or
  - by transfer or deputation of an officer already in the service of any (ii) State Government or the Government of India;
- In the case of Lecturer Political Science (Blind),-(u)
  - by direct recruitment; or (i)
  - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
- All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit (2) basis andseniority alone shall not confer any right to such promotions.
- Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period Probation. of two years, if appointed by direct recruitment and one year if appointed otherwise:

#### Provided that-

- any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding (a) or a higher post shall be counted towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation, fixed under this rules; and
- any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on (c) probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy.
- If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may
  - if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;
  - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
    - (i) revert him to his former post; or
    - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may-
  - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment against a regular vacancy; or
  - if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,-(b)
    - dispense with his Services, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
    - extend his period of probation and thereafter pass such order, as it (ii) could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extention, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, inter se of the members of the Service, shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

- 12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
  - (2) A member of the Service may also be deputed to serve as under:
    - a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
    - (ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
    - (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matter. 13. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employee Conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature:

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1<sup>st</sup> January, 2006 (except death-cumretirement gratuity and leave encashment).

- (2) A Government employee who retires from Service or post shall be eligible to add to his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension),-
  - (i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his Service; or
  - (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-five years; or

- (iii) a period of five years, whichever is less. if the Service or post to which the Government employee is appointed is one-
  - (a) for which post-graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and
  - (b) to which candidates of more than twenty-five years of age are' normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee-

- (i) appointed by direct recruitment and not by promotion:
- (ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement:

Provided that the provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those member of Service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that the Government employee shall he entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note: The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the administrative department in consultation with the Finance Department.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeals) Rules, 2016, as amended from time to time:

Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rule.

- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.
- **15.** Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

- **16.** Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance of India and to the Constitution of India, as established by law.
  - Power of relaxation.

Oath of allegiance.

- 17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
- Special provision.
- **18.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of promotion / appointment, if it is deemed expedient to do so.
- Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Economically Weaker Sections, Exservicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time under clause (4) of article 16 of the Constitution of India:

Provided that the total percentage of reservations, so made, shall not exceed fifty percent, at any time.

**20.** The Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana (Group B) Service Rules, 2000, in so far as applicable to the posts governed by these rules are hereby repealed:

Repeal and savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

# APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of Post	Number of posts	Scale of Pay
1	2	3	4
1	Deputy Director	4	FPL-9, Cell-1 (Rs. 53,100)
2	Administrative Officer	1	FPL-9, Cell-1 (Rs. 53,100)
3	Assistant District Attorney	1	By deputation from Prosecution Department, Haryana, in his own pay scale.
4	Accounts Officer	2	By deputation from Finance Department, in his own pay scale
5	District Social Welfare Officer	22	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
6	Research Officer	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
7	Private Secretary	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
8	Assistant Programme Officer – Blind/Low vision	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
9	Assistant Programme Officer – Hearing and speech impairment	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
10	Assistant Programme Officer – Locomotor disability and leprosy arrested	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
11	Assistant Programme Officer – Cerebral Palsy and muscular dystrophy	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
12	Assistant Programme Officer – Autism mental illness and mental retardation	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
13	Assistant Programme Officer – Multiple Disabilities, deaf- blindness and multiple scleroris	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
14	Assistant Programme Officer – Minority Welfare	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
15	Assistant Programme Officer – Prevention of Alcoholism & Substance (Drug)	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
16	Assistant Programme Officer – Pension	2	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)

Serial Number	Designation of Post	Number of posts	Scale of Pay
1	2	3	4
17	Assistant Programme Officer – Senior Citizens Welfare	1	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
18	Superintendent	4	FPL-7, Cell-1 (Rs. 44,900)
19	Lecturer Hindi	1	FPL-8, Cell-1 (Rs. 47,600)
20	Lecturer English	1	FPL-8, Cell-1 (Rs. 47,600)
21	Lecturer History (Blind)	1	FPL-8, Cell-1 (Rs. 47,600)
22	Lecturer Music (Blind)	1	FPL-8, Cell-1 (Rs. 47,600)
23	Lecturer Political Science (Blind)	1	FPL-8, Cell-1 (Rs. 47,600)

Note: The post of Assistant District Attorney and Accounts Officer shall be governed by their respective service rules of parent department as applicable to them.

## APPENDIX B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Deputy Director		By promotion: Five years experience as District Social Welfare Officer /Assistant Programme Officer.
			However, Assistant Programme Officer shall have to qualify the SETC Part-I test before Consideration for promation. An Assistant Programme Officer already possessing the qualification as decided by the State Government from time to time, shall be exempted from (SETC) Part-1.
			By transfer or deputation:-
			(i) Two years experience on analogous post; and
			(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
2	Administrative		By Promotion:
	Officer		Five years experience as Superintendent
			By transfer or deputation:
			(i) Two years experience on analogous post; and
			(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
3	District Social	(i) Master's degree in Social Work or	By Promotion:
	Welfare Officer	Master's degree Psychology with atleast 55% marks alongwith Diploma	Ten years regular service as Investigator
		in Counseling from a recognized university;	By transfer or deputation:
		(ii) Hindi or Sanskrit as one of the	(i) Two years experience on analogous post; and
		subjects in Matric; or Higher Education	(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education.
4	Research Officer		1. By Promotion:
			Seven years experience as Assistant Research Officer
			By transfer or deputation:
			(i) Two years experience on analogous post; and
			(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
5	Private Secretary		By Promotion  Five years experience as Personal Assistant  By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
6	Assistant Programme Officer (Blindness/low vision)	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Disability, Rehabilitation Administration / Master's degree in Rehabilitation Psychology / Master's degree in Clinical Psychology Sociology with Rehabilitation from a recognized university;</li> <li>(ii) One year relevant work experience in Training and Rehabilitation in the relevant band of disability in social sector (Government/Semi-Government/Board/university; and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
7	Assistant Programme Officer (Hearing and speech impairment)	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Disability, Rehabilitation Administration / Master's degree in Rehabilitation Psychology / Master's degree in Clinical Psychology Sociology with Rehabilitation from a recognized university.</li> <li>(ii)One year relevant work experience in Training and Rehabilitation in the relevant band of disability in social sector (Government/Semi-Government/Board/University; and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
8	Assistant Programme Officer (Locomotor disability and leprosy arrested)	(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Disability, Rehabilitation Administration / Master's degree in Rehabilitation Psychology / Master's degree in Clinical Psychology Sociology with Rehabilitation from a recognized university;	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
		<ul> <li>(ii) One year relevant work experience in Training and Rehabilitation in the relevant band of disability in social sector (Government / Semi-Government / Board / University); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	
9	Assistant Programme Officer (Cerebral Palsy and muscular dystrophy)	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Disability, Rehabilitation Administration / Master's degree in Rehabilitation Psychology / Master's degree in Clinical Psychology Sociology with Rehabilitation from a recognized university;</li> <li>(ii) One year relevant work experience in Training and Rehabilitation in the relevant band of disability in social sector (Government / Semi-Government / Board / University)</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
10	Assistant Programme Officer (Autism mental illness and mental retardation)	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Disability, Rehabilitation Administration / Master's degree in Rehabilitation Psychology / Master's degree in Clinical Psychology Sociology with Rehabilitation from a recognized university;</li> <li>(ii) One year relevant work experience in Training and Rehabilitation in the relevant band of disability in social sector (Government/Semi-Government / Board / university); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
11	Assistant Programme Officer (Multiple Disabilities, deaf- blindness and multiple sclerosis)	(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Disability, Rehabilitation Administration / Master's degree in Rehabilitation Psychology / Master's degree in Clinical Psychology Sociology with Rehabilitation from a recognized university;	By transfer or deputation:  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	(ii) One year relevant work experience in Training and Rehabilitation in the relevant band of disability in social sector (Government/Semi-Government/Board/University); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	4
12	Assistant Programme Officer (Minority Welfare)	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work from a recognized university;</li> <li>(ii)One year relevant work experience from (Government/ Semi-Govt./ Board/University); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
13	Assistant Programme Officer (Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Psychology / Master's degree in Applied Psychology from a recognized university;</li> <li>(ii) One year relevant work experience from (Government/Semi-Govt./ Board/University); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
14	Assistant Programme Officer (Pension)	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work from a recognized university;</li> <li>(ii) One year relevant work experience from (Government/ Semi-Govt./ Board/University); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
15	Assistant Programme Officer (Senior Citizens Welfare)	<ul> <li>(i) Master's degree in Social Work / Master's degree in Geriatric Social Work/ Master's degree in Gerontological Social Work from a recognized university.</li> <li>(ii) One year relevant work experience from (Government/ Semi-Govt./Board/University); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
16	Superintendent		By Promotion:- Ten years experience as Assistant or Accountant or Junior Auditor or Cashier. By transfer or deputation:- (i) Two years experience on analogous post; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
17	Lecturer English	<ul> <li>(i) M.A. English with at least 55% marks and B.Ed. (Special) with knowledge of Braille from a recognized university;</li> <li>(ii) Certificate of having qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET)/ School Teachers Eligibility Test (STET); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
18	Lecturer Hindi	<ul> <li>(i) M.A. Hindi with at least 55% marks and B.Ed. (Special) with knowledge of Braille from a recognized university;</li> <li>(ii) Certificate of having qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET)/ School Teachers Eligibility Test (STET); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
19	Lecturer History (Blind)	<ul> <li>(i) M.A. History with at least 55% marks and B.Ed. (Special) with knowledge of Braille from a recognized university;</li> <li>(ii) Certificate of having qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET)/ School Teachers Eligibility Test (STET); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
20	Lecturer Music (Blind)	<ul> <li>(i) M.A. Music with at least 55% marks and B.Ed. (Special) with knowledge of Braille from a recognized university;</li> <li>(ii) Certificate of having qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET)/ School Teachers Eligibility Test (STET); and</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	
21	Lecturer Political Science(Blind)	<ul> <li>(i) M.A. Political Science with at least 55% marks and B.Ed. (Special) with knowledge of Braille from a recognized university;</li> <li>(ii) Certificate of having qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET)/ School Teachers Eligibility Test (STET); and</li> <li>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</li> </ul>	By transfer or deputation:-  (i) Two years experience on analogous post; and  (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

# APPENDIX C

(See rule 14 (1) )

Serial Number	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
	1	2	3	4	5
1	Deputy Director	Government	(i) Minor	Director	Government
2	Administrative		Penalties-		
2	Officer		As prescribed in the Haryana		
3	District Social Welfare		Civil Services		
	Officer		(Punishment and		
4	Research Officer		Appeal) Rules,		
5	Private Secretary		2016.		
6	Assistant Programme Officer-Blindness /Low vision		(ii) Major Penalties- As prescribed in the Haryana	Government	
7	Assistant Programme Officer- Hearing and speech impairment		Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016		
8	Assistant Programme Officer-Locomotor disability and leprosy arrested				
9	Assistant Programme Officer-Cerebal Palsy and muscular dystrophy				
10	Assistant Programme Officer-Autism mental illness and mental retardation				
11	Assistant Programme Officer-Multiple Disabilities, deaf- blindness and multiple sclerosis				
12	Assistant Programme Officer-Minority Welfare				
13	Assistant Programme Officer-Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse				

Serial Number	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
	1	2	3	4	5
14	Assistant Programme Officer-Pension				
15	Assistant Programme Officer- Senior Citizens Welfare				
16	Superintendent				
17	Lecturer Hindi				
18	Lecturer English				
19	Lecturer History (Blind)				
20	Lecturer Music (Blind)				
21	Lecturer Political Science (Blind)				

# APPENDIX D

[see rule 14 (2)]

Serial Number	Designation of Posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1	Deputy Director	(i) reducing or with holding the	Government
2	Administrative Officer	amount of ordinary additional pension admissible under the	
3	District Social Welfare Officer	rules governing pension;	
4	Research Officer		
5	Private Secretary	(ii) terminating the appointment	
6	Assistant Programme Officer-Blindness / Low vision	of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	
7	Assistant Programme Officer-Hearing and speech impairment		
8	Assistant Programme Officer- Locomotor disability and leprosy arrested		
9	Assistant Programme Officer - Cerebal Palsy and muscular dystrophy		
10	Assistant Programme Officer-Autism mental illness and mental retardation		
11	Assistant Programme Officer-Multiple Disabilities, deaf-blindness and multiple sclerosis		
12	Assistant Programme Officer-Minority Welfare		
13	Assistant Programme Officer- Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse		
14	Assistant Programme Officer-Pension		
15	Assistant Programme Officer- Senior Citizens Welfare		
16	Superintendent		
17	Lecturer Hindi		
18	Lecturer English		
19	Lecturer History (Blind)		
20	Lecturer Music (Blind)		
21	Lecturer Political Science (Blind)		

VINEET GARG, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Social Justice and Empowerment Department.